रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112023-249895
CG-DL-E-06112023-249895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4601] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 2023/कार्तिक 12, 1945
No. 4601] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2023/KARTIKA 12, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2023

का.आ. 4799(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4616 (अ), तारीख 8 नवंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 9 नवंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य इंदौर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के इंदौर वन संभाग में 2.34550 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ कम्पार्टमेंट संख्या आर-260 में स्थित है। यह अभयारण्य 1989 में मध्य प्रदेश अधिसूचना सं. 14-20-X-II-88, तारीख 09 फरवरी, 1989 में घोषित

किया गया था। यह समुद्र के औसत जल स्तर से 2608 फीट की ऊंचाई पर और अभयारण्य के मुख्य प्रवेश द्वार से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है;

और, रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 28 चीतल, 19 ब्लैकबक, 42 नीलगाय, 5 भेदकी, 11 लकड़बग्घो और 10 लोमड़ी अभिलिखित की गई है। इसके अलावा, अभयारण्य क्षेत्र में अन्य जीवजंतु प्रजातियां जैसे सेही, मोर, खरना, सियार, आदि भी विद्यामान है। प्रायोगिक सर्वेक्षण में, बहुत सी वनस्पति प्रजातियां जैसे *ब्रिडेलिया रतुसा* (कशाई), *ब्रायोनोप्सिस लकिनिओसा* (शिवलिंग), *बुटेया मोनोस्पर्मा* (पलाश), *कलोट्रोपिस गिगेंटेया* (आक), *कैनावालिया ग्लाडियाटा* (वन सेम), *केरिया अर्बोरिया* (कुमही), *कैशिया फिस्टुला* (अमलताश), *कैशिया तोरा* (चकोडा), *कैटुनारेगम स्पिनोसा* (मैनाहार), *क्लेओम विस्कोसा* (हुरहुर), *कोनवोल्वुलुस अर्वेंसिस* (चंदबेल), *कुरकुलिगो ऑर्किओइड्स* (काली मुसली), *कुस्कुटा रेफ्लेक्स* (अमरबेल), *साइपरस इरिया* (गल्मोटगा), *धतूरा मेटेल* (काला धतूरा), *डिस्कोरेया बुल्बिफेर* (एंगेथा), *इचिनोप्स इचिनाटस* (अनटकाटारा), *एलाइओड्रेडोन ग्लाउकम* (जमराशी), *एनिकोस्टेम्मा हायस्सोपिफोलियम* (नाई ग्रास), *एरिथ्रिना सुबेरोसा* (हदुआ), *यूफोरबिया हिरटा* (धुइलिया), *यूफोरबिया थयमिफोलिया* (छोटी दुधी), *इवोल्वुलुस अल्सिनाआईडेस* (संख पुष्पी), *फिकुस बेंगालेंसिस* (बद/बरगद), *फिकस रेलिगिओसा* (पीपल), *गमेलिना अर्बोरिया* (खम्हेर), *हार्डविकिया बिनाटा* (अंजन), *हेटेरोपोगन कॉन्टोर्टस* (लम्पा), *होलोप्टेलेया इंटेगिरिफोलिया* (चिल्ला), इंडिगोफेरा आर्टिकुलाटा (नील), *जटरोफा गोसिपिफोलिया* (चंद्राजूट), *लॉसोनिया इनर्मिस* (मेंहदी), *मैंगिफेरा इंडिका* (आम), *मिमोसा पुदीका* (लाजवंती बड़ी), *नेरियम इंडिकम* (कनेर), *निक्टेन्थेस आर्बोर्ट्रिस्टिस* (हारसिंगार), *ओकिमुम सेंक्टम* (तुलसी), *ऑक्सालिस कोर्निकुलाटा* (तीन पत्तियां), *फयल्लांथुस निरूरी* (भुई औनला), *पोंगामिया पिन्नाटा* (करंज), *पटेरोकार्पस मारसुपियम* (बीजा), *सच्चारूम स्पोंटनेवन* (कांश), *सपिंदुस टविफोलियाटस* (रीठा), *स्चलेइचेरा ओलेओसा* (कुसुम), *सिडा कॉडिफोलिया* (कुंगयी), *सोलानम क्रथोकार्पम* (सफेद भटकतैया), *स्टेर्कुलिया उरेंस* (कुल्लु), *टमारिंडुस इंडिका* (इमली), *टेफरोसिया पुरपुरेया* (सरफोंका), *ट्रिबुलुस टेर्रेस्ट्रीस* (गोखरू जाय), *वांडा रॉक्बुरगी* (बांडा), *विटेक्स नेगुंडो* (निरगुंडी), *राइटिया टिंक्टोरिया* (दुधी बदी), *जिजिफुस मॉरिटियाना* (बेर), आदि अभिलिखित की गई है। विद्यमान पौधों की प्रजातियों का आहार, औषधीय और विविध मूल्य है;

और, रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास *मकाका मुलुटा* (बंदर), *प्लोकेउस फिलिप्पिनस* (बाया), *पाइकोनोटस केफर* (बुलबुल), *रैट्टुस रैट्टुस* (चूहा), *कोरवुस स्प्लेंडेंस* (देशी मुर्गा), *जमेनिस मुस्कोसुस* (धामन), *एरिक्स जोहनी* (दो मुही), *वाइपेरा रूस्सेल्ली* (घोड़ा पछाड), *जिप्स बेंगालेंसिस* (गिद्ध), *फुनाम्बुलुस पेन्नांटी* (गिलहरी), *फुनाम्बुलुस पेन्नांटी* (गिलहरी), *पास्सेर डोमेस्टिकस* (गोरिया), *लैकेर्टा स्पा* (गुहेरा), *ट्रेरोन फोनीकोप्टेरा* (हरियाल), *अमाउरोमिस फोनीकुरूस* (जल मुर्गी), *कोरवुस मैक्रोरहिन्चोस* (जंगली कौआ), *कोलुम्बा लिविया* (कबूतर), *डिनोपियम बेंगालेंसे* (कठ फोडवा), *लेपुस रूफिकेंडाटस* (खरगोश), *यूडीनामिस स्कोलोपाकेया* (कोयल), *हायना हायना* (लकड़बग्घा), *प्रेस्बियटिस इंटेल्लुस* (लंगूर), *वुल्पेस बेंगालेंसिस* (लोमड़ी), *पावो क्रिस्टुस* (मोर), *नाजा ट्रिपुडिअंस* (नाग), *कोराकिअस बेंगालेंसिस* (नीलकंठ), *हर्पेस्टेक्स एडवर्डसी* (नेवला), *स्ट्रेप्टोपेलिया चिनेंसिस* (फक्टा), *टुरडोआडेस स्ट्रियंटस* (सतवाहिया), *कैनिस ऑरेयस* (सियार), *फ्रेंक्रोलिनस पोंडिकेरीअनुस* (तीतर), *वनेल्लुस इंडिकस* (टिटहरी), *पसिट्राकुला करामेरी* (टोटा), *टयटो कैपेंसिस* (उल्लू), आदि मुख्य जीवजंतु प्रजातियां पाई जाती हैं;

और, रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों में कृषि, राजस्व और रिज़र्व वन क्षेत्रों हैं और वनस्पतियों और जीवजंतु प्रजातियों की विद्यान जैव विविधता निकट भविष्य में रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य के जैविक विविधता मूल्यों को समृद्ध करने में सक्षम है;

India Code

और, रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के भौगोलिक क्षेत्र, विस्तार और सीमाओं को पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा इस भौगोलिक क्षेत्र में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर समरूप 0.1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—** (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर समरूप 0.1 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 0.810 वर्ग किलोमीटर आच्छादित है। रालामंडल अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आसपास का आवासीय क्षेत्र 100 मीटर है।

(2) रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–II** और **उपाबंध –III** के रूप में संलग्न है।

(4) रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-IV** की सारणी **क** और सारणी **ख** में है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध –V** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी रीति से तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, स्थानीय निवासियों और राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

IndiaCode

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यो को करने के लिए मानीटरी समिति हेतु एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

(10) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होने तक, सभी नए विकासात्मक क्रियाकलापों को पैराग्राफ 22 के अधीन समुचित कार्रवाई के लिए पैराग्राफ के अधीन गठित मानीटरी समिति को भेजा जाएगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए उपाय करेगी।

4. **भू-उपयोग संबंधी उपाय**.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का उपयोग वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबंधित विकास क्रियाकलापों के लिए क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जाएगा या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से मध्य प्रदेश नगर योजना अधिनियम, (1973) तथा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग की स्थापना;

(iv) कुटीर उद्योग जिनके अंतर्गत ग्राम उद्योग भी है; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ-4 के अधिन दिए गए संवर्धित क्रियाकलापः

परंतु यह और कि राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन करते हुए, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात कर सकेगी।

परंतु यह और भी की राज्य सरकार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि को प्रत्येक मामले में केवल एक बार मानीटरी समिति के परामर्श पर संशोधित होगी, और ऐसे सुधार के बारे में परिवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी:

परंतु यह और कि त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

5. **प्राकृतिक जल निकाय संबंधी उपाय.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और नवीकरण की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उसके निकट विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

6. **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी-पर्यटन संबंधी उपाय**.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, संरक्षित क्षेत्र की सीमा लसे एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक केवल नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय

पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) इस अधिसूचना के अधिन आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

7. **प्राकृतिक विरासत संबंधी उपाय.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

8. **मानव निर्मित विरासत स्थल संबंधी उपाय.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

9. **ध्वनि प्रदूषण संबंधी उपाय.–** ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत तैयार करेगा।

10. **वायु प्रदूषण संबंधी उपाय.–** वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा।

11. **बहिःस्राव का निस्सारण संबंधी उपाय.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिःस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

12. **ठोस अपशिष्ट निपटान संबंधी उपाय.–** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जायेगा।

13. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान संबंधी उपाय.–** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

14. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी उपाय.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

15. **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी उपाय.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

16. **ई–अपशिष्ट संबंधी उपाय.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

17. **यानीय-यातायात संबंधी उपाय.–** यातायात की यानीय गतिविधियों को पर्यावास-अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

18. **यानीय प्रदूषण संबंधी उपाय.–** राज्य सरकार लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण करेगी और स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास करेगी।

19. **औद्योगिक ईकाइयां संबंधी उपाय.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा ।

20. **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण संबंधी उपाय.–** (1) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(2) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

21. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध, विनियमित या संवर्धित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन, 2011 और अधिसूचना संख्याक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 सहित तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगी और अन्य लागू विधियों, जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53), और तद्धीन बनाए गए नियम सम्मिलित हैं और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्.-

सारणी

क्रम सं. (1)	**क्रियाकलाप** (2)	**विवरण** (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना, मकान बनाने और व्यक्तिगत उपयोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटो का संनिर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त ,2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः 2016 में उद्योग के वर्गीकरण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण

		बोर्ड के पत्र क्रमांक बी-29012/ईएसएस(सीपीए)/2015-2016 दिनांक 07.03.2016 के मार्गदर्शक सिद्धांत लागू होंगे।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 4 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुज्ञा भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही विनियमित किए जाएंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं

		होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगें ।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य अवसंरचनाओ की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा) होगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय करना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होगा ।
21.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
26.	पारिस्थिति की पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।

IndiaCode

29.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
30.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
31.	नया ट्रेंचिंग ग्राउंड।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप:	
32.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

22. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए, एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का गठन**	**पदनाम**
(i)	संभागीय आयुक्त, इंदौर	अध्यक्ष, *पदेन;*
(ii)	मुख्य वन संरक्षक, इंदौर	सदस्य; *पदेन;*
(iii)	जिला कलेक्टर, इंदौर जिला	सदस्य; *पदेन;*
(iv)	आयुक्त, नगर निगम, इंदौर	सदस्य; *पदेन;*
(v)	अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग इंदौर	सदस्य; *पदेन;*
(vi)	जिला पंचायत इंदौर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य; *पदेन;*
(vii)	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(viii)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ix)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(x)	नगर और ग्राम नियोजन विभाग के जिला अधिकारी	सदस्य; *पदेन;*

(xi)	प्रादेशिक अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर	सदस्य; *पदेन;*
(xii)	रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य का वन्यजीव वार्डन, इंदौर	सदस्य-सचिव, *पदेन*।

23. मानीटरी समिति के कार्य.- (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1553(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 20 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 20 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) मानीटरी समिति मामला-दर-मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(4) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध-VI में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र में उस वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

24. अननुपालन के लिए परिवाद.- मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक किसी व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

[फा. सं. 25/174/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

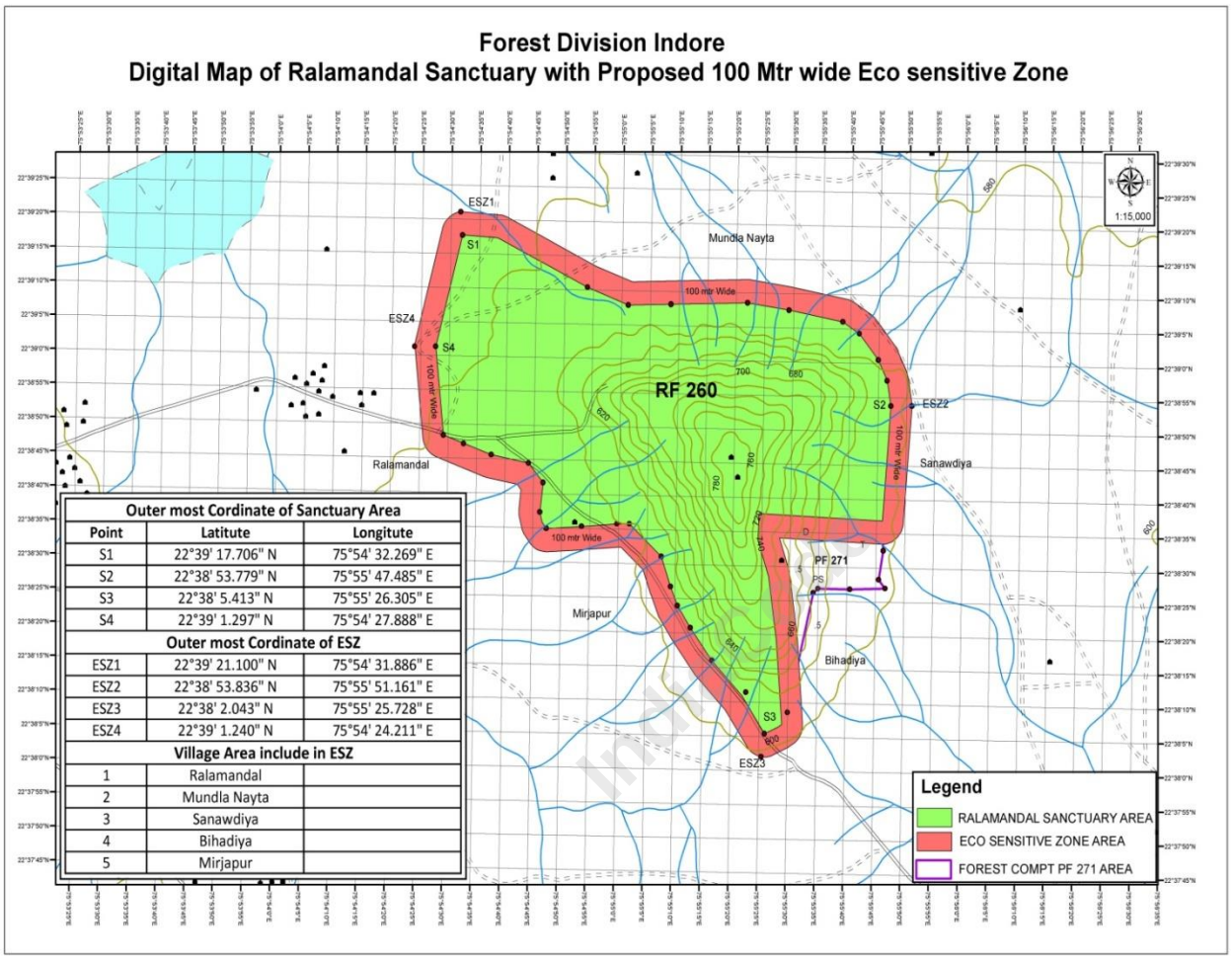
उपाबंध - I

मध्य प्रदेश राज्य में रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

भौतिक संबंध (सड़कों, पहाड़ियों, नदी निकायों, रेलवे लाइन आदि) में सीमा विवरण। सीमा पर एक बिंदु से शुरू होकर और इसके बाद सीमा के साथ दक्षिणावर्त चलते हुए और प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचती है। बिंदु इस प्रकार से हैं: (1) कृषि भूमि, (2) प्राइवेट पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज, (3) रालामंडल ग्राम वास, (4) कृषि भूमि, (5) होम गार्ड क्वार्टर, (6) प्रिओ डायवर्सिटी बागान क्षेत्र, (7) सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप, (8) कृषि भूमि, (9) गैस गौदाम, (10) कृषि भूमि, (11) भानुप्रताप फार्म हाउस, (12) कृषि भूमि, (13) अमय खुरासिया खेल मैदान, (14) कृषि भूमि, (15) संरक्षित वन खंड बीहादिया, (16) रेवेरा टाउनशिप, (1) कृषि भूमि ।

उपाबंध - II

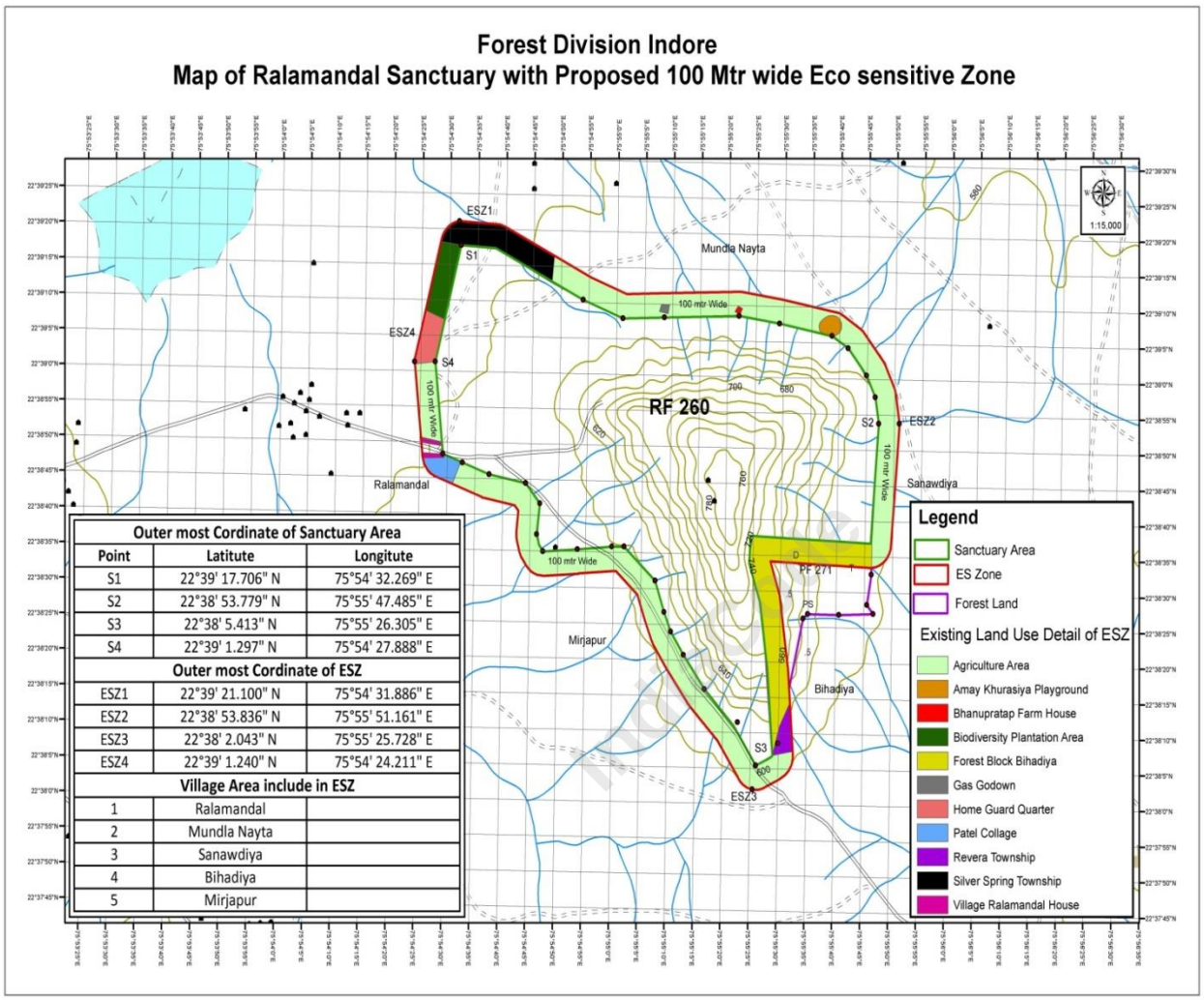
मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



Outer most Cordinate of Sanctuary Area		
Point	Latitute	Longitute
S1	22°39' 17.706" N	75°54' 32.269" E
S2	22°38' 53.779" N	75°55' 47.485" E
S3	22°38' 5.413" N	75°55' 26.305" E
S4	22°39' 1.297" N	75°54' 27.888" E
Outer most Cordinate of ESZ		
ESZ1	22°39' 21.100" N	75°54' 31.886" E
ESZ2	22°38' 53.836" N	75°55' 51.161" E
ESZ3	22°38' 2.043" N	75°55' 25.728" E
ESZ4	22°39' 1.240" N	75°54' 24.211" E
Village Area include in ESZ		
1	Ralamandal	
2	Mundla Nayta	
3	Sanawdiya	
4	Bihadiya	
5	Mirjapur	

उपाबंध - III

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



Outer most Cordinate of Sanctuary Area		
Point	Latitute	Longitute
S1	22°39' 17.706" N	75°54' 32.269" E
S2	22°38' 53.779" N	75°55' 47.485" E
S3	22°38' 5.413" N	75°55' 26.305" E
S4	22°39' 1.297" N	75°54' 27.888" E
Outer most Cordinate of ESZ		
ESZ1	22°39' 21.100" N	75°54' 31.886" E
ESZ2	22°38' 53.836" N	75°55' 51.161" E
ESZ3	22°38' 2.043" N	75°55' 25.728" E
ESZ4	22°39' 1.240" N	75°54' 24.211" E
Village Area include in ESZ		
1	Ralamandal	
2	Mundla Nayta	
3	Sanawdiya	
4	Bihadiya	
5	Mirjapur	

उपाबंध – IV

सारणी क

रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश	देशांतर
एस1	22⁰39’ 17.706” उ	75⁰54’ 32.269”पू
एस2	22⁰38’ 53.779” उ	75⁰55’ 47.485”पू
एस3	22⁰38’ 5.413” उ	75⁰55’ 26.305”पू
एस4	22⁰39’ 1.297” उ	75⁰54’ 27.888”पू

सारणी ख

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

पारिस्थितिकी संवेदी जोन 1	22⁰39' 21.100" उ	75⁰54' 31.886"पू
पारिस्थितिकी संवेदी जोन 2	22⁰38' 53.836" उ	75⁰55' 51.161"पू
पारिस्थितिकी संवेदी जोन 3	22⁰38' 2.043" उ	75⁰55' 25.728"पू
पारिस्थितिकी संवेदी जोन 4	22⁰39' 1.240" उ	75⁰54' 24.211"पू

उपाबंध – V

भू-निर्देशांकों के साथ रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्रामों
1.	रालामंडल
2.	मुंडला नयता
3.	सानावडिया
4.	बीहादिया
5.	मिर्जापुर

IndiaCode

उपाबंध- VI

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का निदर्शन पत्रः

(1) बैठकों की संख्या और तारीख ।

(2) बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें ।

(3) पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति ।

(4) भू-अभिलेखों को देखने से प्रकट त्रुटियों के सुधार के लिए व्यवहार किए गए मामलों का सार। ब्यौरा उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

(5) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।)

(6) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।)

(7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज किए गए परिवादों का सार ।

(8) कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2023

S.O. 4799(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4616 (E), dated the 8th November, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 9th November, 2021;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Ralamandal Wildlife Sanctuary is situated about 12 kilometres from Indore city. It is located within compartment number R-260, having a total area of 2.34550 square kilometres in the Indore Forest Division of Indore District in the State of Madhya Pradesh. The Sanctuary was notified in 1989 by the Government of Madhya Pradesh vide notification number 14-20-X-II-88, dated 09 February, 1989. It is situated at 2608 feet from mean sea level and 2.5 kilometres from the main entrance gate of the sanctuary;

AND WHEREAS, Ralamandal Wildlife Sanctuary has recorded about 28 cheetal, 19 black buck, 42 neelgai, 5 bhedki, 11 hyenas, and 10 lomdi. Apart from this, other fauna species such as sehi, mor, kharna, siyar, etc. are also present in the Sanctuary area. In a pilot survey, numerous flora species were recorded such as *Bridelia retusa* (kashai), *Bryonopsis laciniosa* (shivling), *Butea monosperma* (palash), *Calotropis gigantea* (aak), *Canavalia gladiata* (van sem), *Careya arborea* (kumhi), *Cassia fistula* (amaltash), *Cassia tora* (chakoda), *Catunaregum spinosa* (mainahar), *Cleome viscosa* (hurhur), *Convolvulus arvensis* (chandbel), *Curculigo orchioides* (kali musli), *Cuscuta reflexa* (amarbel), *Cyperus iria* (galmotga), *Datura metel* (kala dhatura), *Dioscorea bulbifer* (angeetha), *Echinops echinatus* (untkatara), *Elaeodendron glaucum* (jamrasi), *Enicostemma hyssopifolium* (nai grass), *Erythrina suberosa* (hadua), *Euphorbia hirta* (dhuelia), *Euphorbia thymifolia* (choti dudhi), *Evolvulus alsinoides* (sankh puspi), *Ficus benghalensis* (bad/bargad), *Ficus religiosa* (peepal), *Gmelina arborea* (khamher), *Hardwickia binata* (anjan), *Heteropogan contortus* (lampa), *Holoptelea integrifolia* (chilla), *Indigofera articulata* (neel), *Jatropha gossypifolia* (chandrajoot), *Lawsonia inermis* (menhadi), *Mangifera indica* (aam), *Mimosa pudica* (lajvanti badi), *Nerium indicum* (kaner), *Nyctanthes arbortristis* (harsingar), *Ocimum sanctum* (tulsi), *Oxalis corniculata* (teenpatia), *Phyllanthus nirurii* (bhui aonla), *Pongamia pinnata* (karanj), *Pterocarpus marsupium* (beeja), *Saccharum spontanewn* (kansh), *Sapindus twifoliatus* (ritha), *Schleichera oleosa* (kusum), *Sida cordifolia* (kungyi), *Solanum xanthocarpum* (safed bhatkataiya), *Sterculia urens* (kullu), *Tamarindus indica* (imli), *Tephrosia purpurea* (sarphonka), *Tribulus terrestris* (gokharu zy), *Vanda roxburghii* (banda), *Vitex negundo* (nirgundi), *Wrightia tinctoria* (dudhi badi), *Ziziphus mauritiana* (ber), etc. The existing plant species have food, medicinal and multifarious values;

AND WHEREAS, the major fauna species available in and around Ralamandal Wildlife Sanctuary are *Macaca muluta* (bander), *Ploceus philippinus* (baya), *Pycnonotus cafer* (bulbul), *Rattus rattus* (chooha), *Corvus splendens* (deshi cock), *Zamenis muscosus* (dhaman), *Eryx Johnii* (do muhi), *Vipera russelli* (ghoda pachhad), *Gyps bengalensis* (giddh), *Funambulus pennanti* (gilahri), *Funambulus pennanti* (gilahri), *Passer domesticus* (goriya), *Lacerta spp* (guhera), *Treron phoenicoptera* (hariyal), *Amauromis phoenicurus* (jal murgi), *Corvus macrorhynchos* (jangli kaua), *Columba livia* (kabootar), *Dinopium benghalense* (katha phodva), *Lepus ruficandatus* (khargosh), *Eudynamis scolopacea* (koyal), *Hyaena hyaena* (lakadbaghgha), *Presbytis entelllus* (langoor), *Vulpes bengalensis* (lomdi), *Pavo cirstatus* (more), *Naja tripudians* (nag), *Coracias benghalensis* (neelkanth), *Herpestex edwardsi* (nevla), *Streptopelia chinensis* (phakta), *Turdoides striantus* (satwahiya), *Canis aureus* (siyar), *Francolinus pondicerianus* (teetar), *Vanellus indicus* (titahri), *Psittacula krameri* (tota), *Tyto capensis* (ullu), etc;

AND WHEREAS, the surrounding areas of Ralamandal Wildlife Sanctuary has agriculture, revenue and reserve forest areas and the existing biodiversity of flora and fauna species are capable to enrich the biological diversity values of Ralamandal Wildlife Sanctuary in near future;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the geographical area, the extent and boundaries of Ralamandal Wildlife Sanctuary from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in this geographical area;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0.1 kilometres uniform around the boundary of Ralamandal Wildlife Sanctuary, in Indore District in the State of Madhya Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely : -

1. Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall cover an area of 0.810 square kilometres with an extent of 0.1 kilometre uniform around the boundary of Ralamandal Wildlife Sanctuary. The residential area around the Ralamandal Sanctuary Eco-sensitive Zone with 100 meters extent.

(2) The boundary description of Ralamandal Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Ralamandal Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-III** and **Annexure-III.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Ralamandal Wildlife Sanctuary and the Eco-sensitive Zone are in Table **A** and Table **B** of **Annexure-IV.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-V.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the local people and State Government Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipality;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Madhya Pradesh State Pollution Control Board; and
(xii) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved by the State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending approval of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone, any new developmental activities shall be referred to the monitoring committee constituted under paragraph 22 for appropriate action under paragraph 21.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the measures for giving effect to the provisions of this notification.

4. Land use related measures.– (a) Forests, horticulture areas, tribal areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the State Government may permit the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, (1973) as applicable, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) setting up small scale industries not causing pollution;
(iv) setting up cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that the State Government may permit the use of land in tribal area for commercial or industrial development activities on compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution and the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that the State Government shall correct any error appearing in the records of land within the Eco-sensitive Zone, only once in each case and in consultation with the Monitoring Committee and intimate to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change about such correction:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

5. Natural water bodies related measures.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

6. Tourism or Eco-tourism related measures.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger

Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) The development for tourism and expansion of existing tourism activities may be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and on recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area until Zonal Master Plan is approved under this notification.

7. Natural heritage related measures.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

8. Man-made heritage sites related measures.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

9. Noise pollution related measures.- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.

10. Air pollution related measures.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (Protection) Act, 1986 and rules framed thereunder.

11. Discharge of effluents related measures.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of environmental Pollutants covered under the rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986 and standards stipulated by State Pollution Control Board, whichever is more stringent.

12. Solid wastes disposal related measures.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

13. Bio-Medical Waste disposal related measures.- Bio-Medical Waste Management shall be in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and safe and environmentally sound management of Bio-Medical Wastes in conformity with the applicable rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

14. Plastic waste management related measures.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016**.**

15. Construction and demolition waste management related measures.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

16. E-waste related measures.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

17. Vehicular traffic related measures.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

18. Vehicular pollution related measures.- The State Government shall prevent and control vehicular pollution in accordance with the applicable laws and shall make efforts for use of cleaner fuels.

19. Industrial units related measures.- No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone and only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016.

20. Protection of hill slopes related measures.-

(1) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(2) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

21. List of prohibited, regulated and promoted activities within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the notification number S.O. 1533 (E) dated the 14th September, 2006 and other applicable laws, including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 26.04.2023 and 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Central Pollution Control Board's guidelines for Categorisation of Industry in 2016 *vide* their letter No. B-29012/ESS(CPA)/2015-2016 dated 07.03.2016 shall be applicable.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills and wood base industries.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the

IndiaCode

		protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in paragraph 4 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along	Permitted as per the applicable laws.

	with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
31.	New trenching ground.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

22. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following persons, namely:-

Sl. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
(i)	Divisional Commissioner, Indore	Chairman, *ex officio;*
(ii)	Chief Conservator of Forests, Indore	Member; *ex officio;*
(iii)	District Collector, Indore District	Member; *ex officio;*
(iv)	Commissioner, Nagar Nigam, Indore	Member; *ex officio;*

(v)	Superintending Engineer, Public Health Dept. Indore	Member; *ex officio;*
(vi)	Chief Executive Officer of Zilla Panchayat, Indore	Member; *ex officio;*
(vii)	A representative of non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government	Member;
(viii)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(ix)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(x)	District Officer of Town and country planning Department	Member; *ex officio;*
(xi)	Regional Officer Madhya Pradesh Pollution Control Board, Indore	Member; *ex officio;*
(xii)	Wildlife Warden of Ralamandal Wildlife Sanctuary, Indore	Member-Secretary, *ex officio.*

23. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinize, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 20 thereof, and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 20 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and refer to the Regulatory Authorities concerned.

(3) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(4) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-VI, appended to this notification.

(5) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

24. Complaints for non-compliance.- The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

[F. No. 25/174/2015-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist 'G'

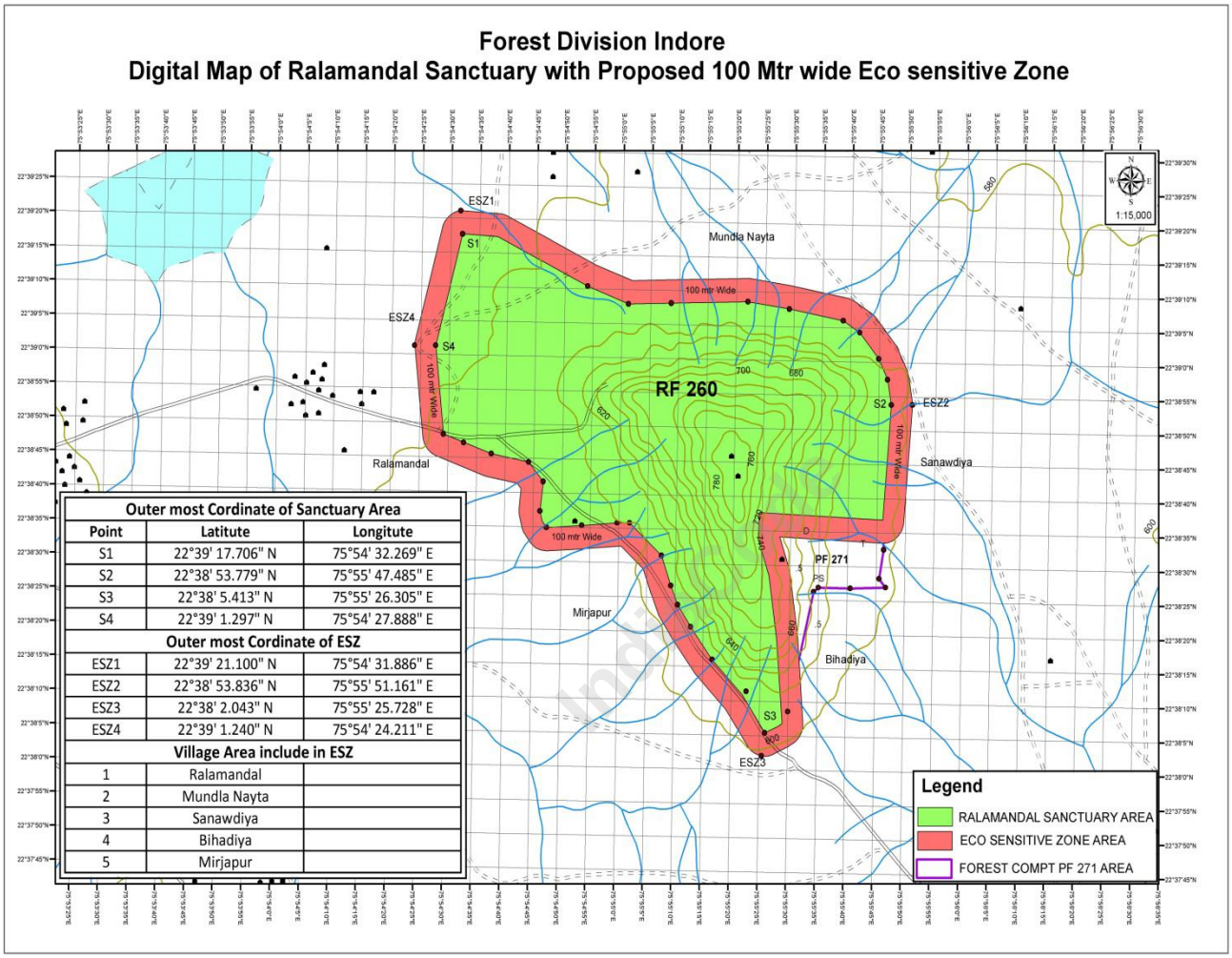
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND RALAMANDAL WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE MADHYA PRADESH

Boundary description in physical terms (roads, hills, river bodies, railway line etc) starting from a point on the boundary and moving clockwise along the boundary and reaching back the ending point are (1) Agriculture Land, (2) Private Patel Engineering Collage, (3) Ralamandal Village Houses, (4) Agriculture Land, (5) Home Guard quarter, (6) Priodiversity Plantation Area, (7)Silver spring township, (8) Agriculture Land, (9) Gas Goudan, (10) Agriculture Land, (11)Bhanupratap Form houses, (12) Agriculture Land, (13) Amay khurasiya playground, (14) Agriculture Land, (15) Protected Forest Block Bihadiya, (16) Revera township, (1) Agriculture Land.

ANNEXURE- II

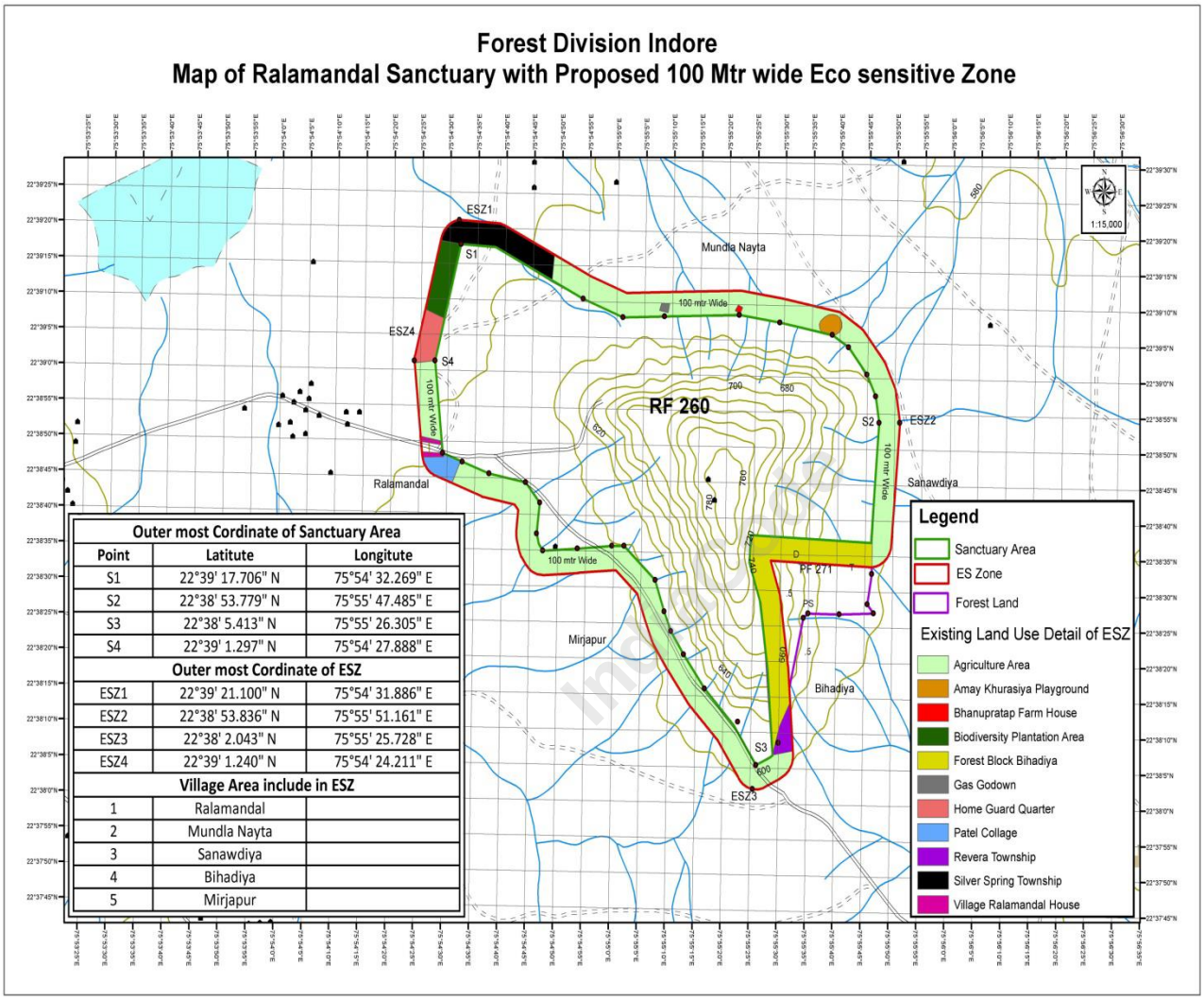
MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RALAMANDAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



Outer most Cordinate of Sanctuary Area		
Point	Latitute	Longitute
S1	22°39' 17.706" N	75°54' 32.269" E
S2	22°38' 53.779" N	75°55' 47.485" E
S3	22°38' 5.413" N	75°55' 26.305" E
S4	22°39' 1.297" N	75°54' 27.888" E
Outer most Cordinate of ESZ		
ESZ1	22°39' 21.100" N	75°54' 31.886" E
ESZ2	22°38' 53.836" N	75°55' 51.161" E
ESZ3	22°38' 2.043" N	75°55' 25.728" E
ESZ4	22°39' 1.240" N	75°54' 24.211" E
Village Area include in ESZ		
1	Ralamandal	
2	Mundla Nayta	
3	Sanawdiya	
4	Bihadiya	
5	Mirjapur	

ANNEXURE- III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RALAMANDAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-IV

TABLE A

GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF RALAMANDAL WILDLIFE SANCTUARY

Point	Latitude	Longitude
S1	$22^0$39’ 17.706” N	$75^0$54’ 32.269”E
S2	$22^0$38’ 53.779” N	$75^0$55’ 47.485”E
S3	$22^0$38’ 5.413” N	$75^0$55’ 26.305”E
S4	$22^0$39’ 1.297” N	$75^0$54’ 27.888”E

TABLE B

GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

ESZ1	$22^0$39’ 21.100” N	$75^0$54’ 31.886”E
ESZ2	$22^0$38’ 53.836” N	$75^0$55’ 51.161”E
ESZ3	$22^0$38’ 2.043” N	$75^0$55’ 25.728”E
ESZ4	$22^0$39’ 1.240” N	$75^0$54’ 24.211”E

ANNEXURE-V

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF RALAMANDAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Villages
1.	Ralamandal
2.	Mundla Nayta
3.	Sanawadiya
4.	Bihadiya
5.	Mirjapur

IndiaCode

ANNEXURE –VI

Proforma of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

(1) Number and date of meetings.

(2) Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).

(3) Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.

(4) Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.

(5) Summary of cases scrutinised for activities covered in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).

(6) Summary of cases scrutinised for activities not covered in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).

(7) Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(8) Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.06 16:21:53 +05'30'